सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 28, बुधवार, *शाके* 1941–मार्च 18, 2020 *Phalguna 28, Wednesday, Saka 1941–March 18, 2020*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 6, 2020

संख्या प.2(41)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मार्च, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 5)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मार्च, 2020 को प्राप्त हुई)

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 24 का संशोधन.- डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 24 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं हो।" से पूर्व, अभिव्यक्ति "और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला" अंत:स्थापित की जायेगी।

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 में नयी धारा 24क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 24 के पश्चात् और विद्यमान धारा 25 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**24क. कुलपति का हटाया जाना.**- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, March 6, 2020

No. F. 2(41)Vidhi/2/2019.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved Vishwavidhyalaya, Jodhpur (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 5) :-

(Authorised English Translation)

THE DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, JODHPUR (AMENDMENT) ACT, 2020
(Act No. 5 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 4th day of March, 2020)

An

Act

further to amend the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- In sub-section (2) of section 24 of the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing expression "administrative organization" and before the existing punctuation mark "." appearing at the end, the expression "and, of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment" shall be inserted.

3. Insertion of new section 24A, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- After the existing section 24 and before the existing section 25 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"24A. Removal of Vice-Chancellor.- (1) Notwithstanding anything contained in the Act, if at any time on the report of the State Government or otherwise, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.".

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।